सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : चाँदमल वर्मा, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 01/2014 (निगरानी पंचायत)
RCMS No: 2014/00032

अनवान

1. श्री प्रभुलाल पिता रामाजी मीणा, मूल निवासी ईटवा, हाल करावाड़ा, तहसील खेरवाड़ा।

– प्रार्थी / निगरानीकर्ता

बनाम

1. श्री पदमलाल पिता फताजी पटेल, निवासी करावाड़ा, तहसील खेरवाड़ा।
2. श्री लालचंद पिता खल्लाजी पटेल, निवासी करावाड़ा, तहसील खेरवाड़ा।
3. श्री मेघा पिता दीता पटेल, निवासी करावाड़ा, तहसील खेरवाड़ा।
4. श्री धन्ना पिता दीता पटेल, निवासी करावाड़ा, तहसील खेरवाड़ा।
5. श्री नारायण पिता वेलाजी पटेल, निवासी करावाड़ा, तहसील खेरवाड़ा।
6. श्री लालजी पिता हकरा पटेल, निवासी करावाड़ा, तहसील खेरवाड़ा।
7. श्री नाथूलाल पिता सोमाजी पांचाल, निवासी करावाड़ा, तहसील खेरवाड़ा।
8. श्री नाथुलाल पिता रामाजी पटेल, निवासी करावाड़ा, तहसील खेरवाड़ा।
9. श्री गोतमलाल पिता पूराजी प्रजापत, निवासी करावाड़ा, तहसील खेरवाड़ा।
10. श्री बाबूलाल पिता पन्नाजी गरासिया, निवासी करावाड़ा, तहसील खेरवाड़ा।
11. श्री बाबूलाल पिता हीराजी पटेल, निवासी करावाड़ा, तहसील खेरवाड़ा।
12. श्री रामलाल पिता कानाजी पटेल, निवासी करावाड़ा, तहसील खेरवाड़ा।
13. श्री कांतिलाल पिता नानाजी पटेल, निवासी करावाड़ा, तहसील खेरवाड़ा।
14. श्री मनजी पिता दानाजी परमार, निवासी करावाड़ा, तहसील खेरवाड़ा।
15. श्री सवजी पिता होमाजी परमार, निवासी करावाड़ा, तहसील खेरवाड़ा।
16. श्री हकरा पिता नानजी सोलविया, निवासी करावाड़ा, तहसील खेरवाड़ा।
17. श्री रमेशचंद्र पिता रूपाजी भणात, निवासी करावाड़ा, तहसील खेरवाड़ा।
18. श्री जीवा पिता धुलाजी परमार, निवासी करावाड़ा, तहसील खेरवाड़ा।
19. ग्राम पंचायत करावाड़ा, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर जरिये सरपंच।

– विपक्षीगण / रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित

1. श्री अरूण व्यास, अधिवक्ता निगरानीकर्ता।
2. श्री संजय बोहरा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1, 2, 3, 6, 7, 9, 12, 13

निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1996
विरूद्ध आदेश पंचायत समिति खेरवाड़ा, प्र.स. 01/2010 निर्णय दिनांक 05.08.2011

* निर्णय *

दिनांक– 31-08-2018

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी अंतर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1996 प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि ग्राम पंचायत

करवाड़ा द्वारा निगरानीकर्ता को पुराना कब्जा होने, मौके पर बाड़ लगा अंदर पशुओं का चारा व जलाऊ लकड़ी रख उपयोग–उपभोग करते आने से उसे दिनांक 26.09.1999 को ग्राम करावाड़ा मे पट्टा जारी किया गया एवं इस पट्टे का पंजीयन दिनांक 29.09.1999 को किया गया, तब से प्रार्थी उस पर लगातार काबिज हो कमरे व वाउण्ड्रीवाल निर्मित कर निवास कर रहा हैं। विपक्षी संख्या 1 से 18 द्वारा निगरानीकर्ता से द्वेषतावश एवं राजनीतिक कारणों से मिथ्या तथ्य दर्शाकर 11 वर्ष बाद 03.08.2010 को पंचायत समिति खेरवाड़ा के समक्ष, धारा 61, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत गलत तथ्य पेश कर निगरानीकर्ता का ठेकेदार होना, मिलीभगत से आवंटन होना, निगरानीकर्ता को निःशुल्क की श्रेणी मे न आना, 150 वर्गगज से अधिक का आवंटन होना, पट्टे का बही मे इन्द्राज न होना आदि मिथ्या कथन दर्शाकर अपील पेश कर दी। उक्त अपील मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किये गये एवं अवकाश दिनांक 03.01.2011 की पेशी का नोटिस चस्पा किया गया, फिर भी प्रार्थी उपस्थित हुआ व कार्यालय बंद पाया गया। अगले दिवस उपस्थित होने पर प्रार्थी के हस्ताक्षर करा दिये एवं दुबारा आने की आवश्यकता नहीं है, कहकर रवाना कर दिया। अंत मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी को अनुपस्थित बताते हुए दिनांक 05.08.2011 को उक्त आदेश पारित कर दिया गया। विपक्षी संख्या 1 से 18 की ओर से जो अपील अंतर्गत धारा 61 विचारार्थ स्वीकार की गई है, वह दोषपूर्ण है। इनका वादाधिकार नहीं हैं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 61 मे यह स्पष्ट प्रावधान है की पंचायत के किसी आदेश से व्यथित व्यक्ति को पंचायत समिति मे आदेश दिनांक से 30 दिवस के भीतर अपील करनी होती है एवं अपील का श्रवाणाधिकार पंचायत समिति की स्टेण्ड़िंग कमेटी जो कि धारा 56(1)(ए) के तहत गठित हो, उसके द्वारा सुने जाने एवं उसी के द्वारा निर्णय पारित करने का प्रावधान हैं। विवादित निर्णय मात्र विकास अधिकारी द्वारा ही पारित किया गया है। उक्त अपील न तो स्टेण्ड़िंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत हुई और न ही एक भी दिवस को स्टेण्ड़िंग कमेटी के सदस्यों द्वारा सुनवाई की गई। प्रार्थी को अवकाश के दिवस को दी गई पेशी अवैधता को दर्शाती हैं। यदि अवकाश के दिवस के आदेशिका ही अवैध है तो उस आधार पर की गई समस्त कार्यवाही अवैध हैं। प्रार्थी का वर्ष 1999 के पूर्व से कब्जा था एवं कब्जे के आधार पर ही उसे आवंटन किया गया था। इसी स्थल पर प्रार्थी द्वारा वर्ष 2005 से मकान बना रखा हैं। प्रार्थी के नाम मे ही ''मीणा'' शब्द जुड़ा हुआ है एवं उसके अनुसूचित जनजाति का होने का प्रमाण है। निर्णय के परिशीलन से स्पष्ट है कि पंचायत के सरपंच के बदल जाने के कारण उन्होने रेकर्ड गायब कर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया। ऐसे प्रमाण के अभाव मे धारा 114–जी साक्ष्य अधिनियम के तहत विपरित अवधारण लिया जाना आवश्यक था। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय पंचायत समिति द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह अवैध एवं शून्य होने से निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 1/2010 मे पारित आदेश दिनांक 05.08.2011 को अपास्त कर विधिवत सुनवाई हेतु प्रकरण सक्षम स्थाई समिति को रिमाण्ड़ किया जावें।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण/रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1, 2, 3, 6, 7, 9, 12, 13 की ओर से श्री संजय बोहरा ने

वकालातनामा पेश किया। शेष रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रकरण मे सूचना पत्र/नोटिस लेने से इंकार किया गया। रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता द्वारा प्रकरण मे निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत मौका निरीक्षण रिपोर्ट मंगवाने बाबत् प्रा.पत्र एवं धारा 5 मयाद अधिनियम प्रार्थना पत्र पर अपना जवाब पेश किया गया। प्रकरण मे मौका निरीक्षण रिपोर्ट मंगवाने बाबत् प्रा.पत्र पर उभय पक्ष को सुना जाने के उपरान्त दिनांक 20.07.2017 को निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने बाबत् प्रा.पत्र अस्वीकार कर खारिज किया गया। प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता द्वारा निगरानी प्रार्थना पत्र पर सीधे बहस हेतु अनुरोध किया। प्रकरण मे पंचायत समिति खेरवाड़ा से प्रकरण संख्या 1/2010 से संबंधित मूल पत्रावली मंगवायी जाकर बहस हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित हुए। बहस प्रारंभ करते हुए निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने बहस प्रांरभ करते हुए अपने निगरानी प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए न्यायालय के समक्ष निवेदन किया कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157 मे पुरानी भूमि का पट्टा देने का प्रावधान हैं। निगरानीकर्ता को ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि का आवंटन हुआ एवं वर्ष 1999 मे रजिस्ट्री हुई हैं। पंचायत समिति मे विपक्षी संख्या 1 से 18 द्वारा प्रस्तुत की गई अपील मिथ्या है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जानबुझकर सुनवाई तिथि रविवार 03.01.2011 अंकित की गई है एवं प्रकरण धारा 56(1)(ए) के तहत गठित स्थायी समिति के समक्ष सुनवाई हेतु नहीं रखा गया है एवं निर्णय स्थायी समिति द्वारा पारित न किया जाकर मात्र विकास अधिकारी, पंचायत समिति खेरवाड़ा द्वारा पारित कर दिया गया हैं। विपक्षी संख्या 1 से 18 को शिकायत करने का अधिकार है, किन्तु इनका वादाधिकार न होने से अपील करने के अधिकारी नहीं हैं। इसके विपरित इनके द्वारा अवधि निकल जाने के उपरान्त वर्ष 2010 मे अपील पेश की है, जो अपने आप मे शून्य हैं। इसके अतिरिक्त पट्टा पंजीकृत हो जाने के उपरान्त रजिस्टर्ड दस्तावेज को सक्षम न्यायालय मे विपक्षी संख्या 1 से 18 को चैलेंज करना चाहिये था, किन्तु इनके द्वारा ऐसा न कर मात्र विकास अधिकारी के यहां अपील पेश कर दी हैं। पट्टे पर सरपंच व सचिव के हस्ताक्षर है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय पंचायत समिति द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह अवैध होने से निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 05.08. 2011 को अपास्त कर विधिवत सुनवाई हेतु सक्षम स्थाई समिति को रिमाण्ड़ किया जावें।

रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता ने बहस मे भाग लेते हुए न्यायालय के समक्ष निवेदन किया कि निगरानीकर्ता श्री प्रभुलाल ठेकेदार हो अन्य ग्राम पंचायत का रहने वाला है। निगरानीकर्ता को ग्राम पंचायत करावाड़ा मे ठेका दिया गया था एवं ठेकेदार होने का फायदा उठातें हुए इसके द्वारा 60X50फीट का निःशुल्क पट्टा बिना किसी आधार एवं रेकर्ड के प्राप्त कर लिया एवं इसके पश्चात् मात्र सरपंच ने बिकावनाम कर दिया। बिकावनामे मे यह स्पष्ट लिखा है कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा निःशुल्क दिया गया हैं जबकि नियमानुसार 150वर्गगज से ज्यादा का पट्टा निःशुल्क जारी नहीं किया जा सकता हैं। निगरानीकर्ता द्वारा नियम विरूद्ध 3000वर्गफीट का पट्टा प्राप्त किया गया है। जिस भूमि का पट्टा निगरानीकर्ता को प्रदान किया गया है, उस भूमि पर ग्राम

का सामुदायिक केन्द्र बनाया जाना था। उक्त पट्टा गलत तरीके से मात्र सरपंच द्वारा जारी कर देने से ग्राम पंचायत मे उक्त पट्टे का कोई रेकर्ड नहीं हैं। पंचायत समिति खेरवाड़ा मे अपील पेश होने पर निगरानीकर्ता के निरन्तर उपस्थित न होने से पंचायत समिति खेरवाड़ा द्वारा दिनांक 05.08.2011 को निर्णय पारित किया गया है, जो नियमानुसार हैं। इसके अतिरिक्त उक्त निर्णय की पूर्णतया जानकारी होने के उपरान्त भी निगरानीकर्ता द्वारा 3 वर्ष पश्चात् इस न्यायालय मे निगरानी पेश की गई हैं। प्रथमतः प्रकरण मयाद के बिंदु पर ही खारिज योग्य हैं। प्रकरण दिनांक 01.08.2011 को स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है, इसका उल्लेख अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय मे भी हुआ हैं। निगरानीकर्ता गरीबी रेखा से नीचे नहीं हैं एवं मात्र कब्जे के आधार पर निःशुल्क पट्टा नहीं लिया जा सकता हैं। इस प्रकार निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी गलत तथ्य पर आधारित होने से निगरानीकर्ता का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जावें एवं अधिनस्थ न्यायालय पंचायत समिति खेरवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 01/2010 मे पारित निर्णय दिनांक 05.08.2011 को यथावत रखा जावें। रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन मे निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये–

(अ) मयाद के बिंदु पर–

- आर.आर.टी. 2014 (2) पृष्ठ 1331 (S.C.)
- आर.बी.जे.. 2010 पृष्ठ 289 (H.C.)
- सी.टी. 2017 (2) पृष्ठ 732 (H.C.)
- आर.आर.टी. 2009–10 पृष्ठ 203
- आर.आर.टी. 2007 (2) पृष्ठ 788
- सी.टी. 2016 (1) पृष्ठ 301

(ब) पंचायत एक्ट नियम 157, 158

(स) पंचायत राज रूल्स सेक्शन 140 से 142, 156, 158

(द) निःशुल्क आवंटन 150 वर्गगज से अधिक का नहीं होगा–

- सी.टी. 2010 (1) पृष्ठ 151

(य) अवैध एवं गलत पट्टे को निरस्त किया जावेगा–

- आर.आर.टी. 2009 (1) पृष्ठ 609
- आर.आर.टी. 2004 (2) पृष्ठ 921
- आर.आर.टी. 2002 (1) पृष्ठ 472
- आर.आर.टी. 2003 (2) पृष्ठ 1328
- आर.एल.ड़ब्ल्यु 1996 (3) पृष्ठ 138, 97
- आर.एल.ड़ब्ल्यु 1999 (2) पृष्ठ 1032

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली मे उपलब्ध निगरानीकर्ता के निगरानी प्रार्थना पत्र, विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत विविध प्रार्थना पत्र पर जवाब एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त, अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत पंचायत समिति की पत्रावली का अवलोकन किया व वर्णित तथ्यों पर गंभीरता से मनन किया, जिससे यह ज्ञात होता है कि अधिनस्थ न्यायालय पंचायत समिति खेरवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 01/2010 मे पारित निर्णय दिनांक 05.08.2011 मे निगरानीकर्ता के पक्ष मे मात्र सरपंच के हस्ताक्षर से जारी किये गये पट्टे का निरस्त किया गया है, जिसका प्रमुख आधार पट्टे की कोई पत्रावली ग्राम पंचायत खेरवाड़ा मे उपलब्ध न होना, पट्टा नियम

विरूद्ध बिना अधिकार के जारी होना, कोरम मे प्रस्ताव पारित हुए बिना जारी होना, आवेदक की पात्रता की जांच न करना आदि बताया हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय मे यह भी स्पष्ट किया है कि राज. पंचायती राज अधिनियम के खण्ड़ 9 मे अचल सम्पत्तियों के संबंध मे प्रावधान दिये है। नियम 41 मे सामान्यतया सभी भूमि विक्रय विशेष कारणो के न होने पर नीलामी द्वारा ही किये जाने, उस हेतु 142 मे प्लान बनाने, नियम 143 मे नीलामी करने के प्रावधान दिये हुए हैं। इसी के क्रम मे नियम 144 से 155 तक भूमि देने, क्रय करने की प्रक्रिया दी गई हैं और इन्ही बाबत् नियम 156 व 157 मे प्रावधान दिये गये है। इन समस्त प्रावधानों के तहत उक्त पट्टा जारी नही किया गया हैं। निःशुल्क पट्टा नियम 158 के तहत मात्र 150 वर्गगज तक का भूखण्ड़ अजा, अजजा, सफाईकर्मी, पिछड़ा वर्ग, ग्रामीण दस्ताकार, मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्ति, आर.आर.ड़ी.पी. मे चयनित परिवार, विकलांग, नेमेटिक ट्राइब व गाड़िया लौहार, जिनके स्वयं के मकान अथवा भूखण्ड़ न हो, उन्हे ही रियायती दर पर भूमि देने का प्रावधान है। निगरानीकर्ता के अन्य ग्राम पंचायत का निवासी होने, वहीं ठेकेदार होने तथा मूल गांव मे मकान एवं भूखण्ड़ होना पाया जाने से नियम 158 के तहत रियायती दर पर भूमि पाने की पात्रता नहीं रखता हैं। नियम 160 के अनुसार आवंटन का सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन आवश्यक है, किन्तु मामले मे पंचायत मे कोई रेकर्ड उपलब्ध नहीं हैं। नियम 157 के तहत भूमि का पट्टा नहीं दिया जा सकता। इस नियम के तहत पुराने गृहो का ही विनियमितीकरण किया जा सकता है, जो प्रस्तुत मामले मे लागू नहीं होता हैं। इन्ही आधारों पर निगरानीकर्ता के पक्ष मे जारी किया गया पट्टा अधिनस्थ न्यायालय पंचायत समिति खेरवाड़ा द्वारा खण्ड़ित घोषित किया गया है। रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण पर चस्पा होते हैं। अधिनस्थ न्यायालय पंचायत समिति खेरवाड़ा द्वारा पारित किये गये निर्णय दिनांक 05.08.2011 मे किसी प्रकार की त्रुटि होना प्रथम दृष्ट्या जाहिर नहीं होता है। ऐसी स्थिति मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते हैं।

अतः निगरानीकर्ता द्वारा श्री प्रभुलाल पिता रामाजी मीणा द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है एवं अधिनस्थ न्यायालय पंचायत समिति खेरवाड़ा, जिला उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 01/2010 मे पारित निर्णय दिनांक 05.08.2011 को यथावत रखा जाता हैं।

निर्णय आज 31.08.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(चाँदमल वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर